कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन – 462011
Tel. 0755-2551017, 2551021 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्र0 449 /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 भोपाल, दिनांक: 30 /01/2021

प्रति,

समस्त निरीक्षक,
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश

विषय :- कम्प्यूटराइज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य के पत्र क्रमांक 1130/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 पर पृ.क्र. 1939/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2020 दिनांक 03.09.2020.

--------00-------

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासन के संदर्भित पत्र से औद्योगिक / व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण कम्प्यूटराइज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था (CIS) से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अस्थाई एवं चलायमान व्यापारियों के निरीक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण विभागीय निरीक्षण एवं अभियोजन प्रकरणों में कमी आई है।

इसी तारतम्य में लेख है कि सप्ताहिक हाट / बाजार, मेला, आटोरिक्शा, टेंकलॉरी आदि जैसे अस्थाई स्वरूप के निरीक्षण हेतु CIS लागू नहीं होगा और न ही इस प्रकार के निरीक्षण हेतु इस कार्यालय से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। किन्तु स्थाई व्यापारियों के निरीक्षण CIS में माध्यम से ही होगें तथा शिकायत व औचक निरीक्षण की स्थिति में इस कार्यालय से अनुमति लेना होगी।

S/Jain
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्र0 450 /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 भोपाल, दिनांक: 30 /01/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त उप / सहायक नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

S/Jain
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन – 462011
Tel. 0755-2551017, 2551021 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्र0 776 /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 भोपाल, दिनांक: 12/02/2021

प्रति,

1. समस्त उप / सहायक नियंत्रक
2. समस्त निरीक्षक,
   नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
   मध्यप्रदेश

विषय :- कम्प्यूटराइज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य के पत्र क्रमांक 1130/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 पर पृ.क्र. 1939/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2020 दिनांक 03.09.2020 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 449/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 दिनांक 30.01.2021.

-------00-------

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 28.01.2021 में दिये निर्देश के पालन में सप्ताहिक हाट / बाजार, मेला, आटोरिक्शा, टेंकलॉरी आदि जैसे अस्थाई स्वरूप के संस्थानों के निरीक्षण को कम्प्यूटराइज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था से मुक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसी अनुक्रम में लेख है कि रबी / खरीफ विपणन मौसम में उपार्जन कार्य हेतु शासन द्वारा अस्थाई उपार्जन केन्द्र बनाये जाते है एवं व्हे-ब्रिज (धर्मकांटा) अधिगृहित किये जाते हैं।

उपार्जन कार्य की अवधि में कृषि उपज मण्डियों, उपार्जन केन्द्रों एवं भंडार ग्रहों तथा भंडार ग्रहों के आस-पास के नाप-तौल उपकरणों एवं व्हे-ब्रिज (धर्मकांटा) के निरीक्षण हेतु कम्प्यूटराइज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी और न ही इस प्रकार के निरीक्षण हेतु इस कार्यालय से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

संयुक्त नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्र0 777 /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 भोपाल, दिनांक: 12 /02/2021

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर बैठक दिनांक 11.02.2021 में चर्चा के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक F. NO./1294/(9-4)2019/29-2 भोपाल, दिनांकः 4/3/2021

प्रति,

नियंत्रक,
नाप-तौल, मध्यप्रदेश
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- कम्प्यूटराइज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक 1130/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020.

----00----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । जिससे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अधिशासित अधिनियम यथा Legal Metrology Act, 2009 अंतर्गत होने वाले समस्त निरीक्षणों के संबध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को समाप्त करते हुए नवीन निर्देश प्रसारित किए हैं।

इसी अनुक्रम में लेख है कि आयुक्त एवं कलेक्टर कार्यालय के प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में की जानें वाली जांच को केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था (CIS) से मुक्त रखा जावे ।

उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभावशील होगी।

(फैज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एव
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ.क्र. F. NO. /1294/(9-4)2019/29-2 भोपाल, दिनांक : 4/3/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 1131/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 1131/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. प्रबंध संचालक, एमपी इंण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमि भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 1131/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 1131/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

प्रमुख सचिव,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एव
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्र0 1029/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 भोपाल, दिनांक: 06/03/2021

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त उप / सहायक नियंत्रक / निरीक्षक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/3/2021
संयुक्त नियंत्रक
नाप-तौल, म.प्र. भोपाल

Letter for form

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन – 462011
Tel. 0755-2551017, 2551021 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्र0 1752 /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 **भोपाल, दिनांक: 07 /06/2021**

प्रति,

1. समस्त उप / सहायक नियंत्रक
2. समस्त निरीक्षक,
   नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
   मध्यप्रदेश

विषय :- कम्प्यूटराइज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य के पत्र क्रमांक 1130/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 पर पृ.क्र. 1939/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2020 दिनांक 03.09.2020 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 449/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 दिनांक 30.01.2021, पत्र क्रमांक 776/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 दिनांक 12-02-2021 एवं पृ.क्र. 1029/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 दिनांक 06.03.2021.

-------00-------

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग म0प्र0 द्वारा अधिशासित अधिनियम यथा विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 अंतर्गत होने वाले समस्त निरीक्षणों के संबंध में पूर्व जारी समस्त निर्देशों को समाप्त करते हुए नवीन निर्देश प्रसारित किये है। तत्पश्चात साप्ताहिक हाट बाजार, मेला, ऑटो रिक्शा, टैंक लॉरी आदि जैसे अस्थाई व्यापारियों के निरीक्षण, रबी / खरीफ विपणन मौसम में उपार्जन कार्य की अवधी में कृषि उपज मंडीयों के उपार्जन केन्द्रों, भंण्डार ग्रहों एवं भंण्डार ग्रहों के आस-पास के नाप-तौल उपकरणों एवं व्हे-ब्रिज के निरीक्षणों एवं आयुक्त तथा कलेक्टर कार्यालयों के प्रशासकीय अधिकारीयों द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में की जाने वाली जांच को केन्द्रीय निरीक्षण व्यवस्था से मुक्त रखने के संबंध में निर्देश जारी किये गए है।

इसी अनुक्रम में लेख है कि सी0एम0 हेल्प लाईन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच को केन्द्रीय निरीक्षण व्यवस्था से मुक्त रखा जाता है। साथ ही सी0एम0 हेल्प लाईन पर प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु इस कार्यालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

S K Jain
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्र0 1753 /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 **भोपाल, दिनांक: 07 /06/2021**

प्रतिलिपि:-

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

S K Jain
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश, भोपाल